



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243652
CG-DL-E-16022023-243652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 25, 1944

No. 675]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 25, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

का.आ. 705(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या

का.आ. 5687(अ) तारीख 05.12.2022, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06.12.2022, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में नार्थ-इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के GNPL खंड के माध्यम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : बिश्ननाथ				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गोहपुर	गोहपुर	घाघरा बागान 26/31 एफ. एस. ग्रांट	29	00	12	74
			27	00	17	81

[फा. सं. एल -14014/226/2022-जीपी-II (ई-45098)]

एम.आर.नाज़मी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2023

S.O. 705(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 5687 (E) dated the 05.12.2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 06.12.2022 the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through GNPL section of North – East Natural Gas Pipeline Grid Project in the state of Assam, by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL);

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India;

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District: Biswanath				State: Assam		
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Gohpur	Gohpur	Ghagra Bagan 26/31 No. F.S Grant	29	00	12	74
			27	00	17	81

[F. No. L-14014/226/2022-GP-II (E-45098)]

M.R. NAZMI, Under Secy.